

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [seaccg@gmail.com](mailto:seaccg@gmail.com)

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 01/09/2021 को संपन्न 386वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स डी-करासी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्रीमती नेहा गोयल), ग्राम-करासी, तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1748)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 221398/2021, दिनांक 26/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-करासी, तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 538, कुल क्षेत्रफल-1.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कनहार नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत करासी का दिनांक 02/10/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. चिन्हांकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1024/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021, बलरामपुर/345 दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक /खनिज/2021, बलरामपुर/345 दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बांध, एनीकट,

*aj*

मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्रीमती नेहा गोयल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 305/गौण खनिज/रेत नीलामी/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/8602 बलरामपुर, दिनांक 30/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-करासी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-करासी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल राजपुर 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 90 मीटर, न्यूनतम 68 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 339 मीटर, न्यूनतम 333 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 66 मीटर, न्यूनतम 44 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दक्षिणी किनारे से दूरी अधिकतम 14 मीटर, न्यूनतम 11 मीटर एवं उत्तरी किनारे से दूरी अधिकतम 13 मीटर, न्यूनतम 10 मीटर है।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 6 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 95,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 6 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।
13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 20/03/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School and Aanganbadi, Village- Karasi	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। कनहार नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-करासी) का रकबा 1.9 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 750 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –
  - i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट

(दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

- ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
  - iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स डी-करासी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्रीमती नेहा गोयल), खसरा क्रमांक 538, ग्राम-करासी, तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्रफल 1.9 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 19,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स गौरभाट सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री आशीष मयंक पाण्डेय), ग्राम-गौरभाट, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1749)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 221794/ 2021, दिनांक 27/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता के विस्तारीकरण का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-गौरभाट, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1869, कुल क्षेत्रफल-4.9 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,04,285 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आशीष मयंक पाण्डेय, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-



1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
  - i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गौरभाट के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 1869, कुल क्षेत्रफल - 4.9 हेक्टेयर, क्षमता - 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-रायपुर द्वारा दिनांक 14/05/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
  - iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
  - v. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गौरभाट का दिनांक 05/10/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** - मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक खनि 02/रेत/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क.17/2021 नवा रायपुर, दिनांक 21/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021 रायपुर, दिनांक 23/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/खनिज/2021 रायपुर, दिनांक 23/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **लीज का विवरण** - लीज श्री आशीष मयंक पाण्डेय के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/10/2019 से 22/10/2021 तक की अवधि हेतु वैध है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला-रायपुर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।



10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-गौरभाट 3 कि.मी., स्कूल ग्राम-गौरभाट 3 कि.मी. एवं अस्पताल मंदिर हसौद 30 कि.मी. में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक एनीकट/पुल स्थित नहीं है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 840 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 158 मीटर, न्यूनतम 157 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 322 मीटर, न्यूनतम 302 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर एवं पूर्वी किनारे से दूरी अधिकतम 452 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।
13. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,04,285 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 16/05/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School, Village-Gaurbhat	
			Rain Water Harvesting System	0.60

			Plantation with Fencing	0.20
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

16. गैर माईनिंग क्षेत्र – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 840 मीटर, न्यूनतम 774 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के पश्चिमी किनारे से दूरी अधिकतम 48 मीटर, न्यूनतम 35 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,286 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.17 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि रेत की गहराई हेतु उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) किये गये हैं, जिसमें रेत की औसतन मोटाई 3.5 मीटर है। रेत खदान हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार वॉटर लेवल्स से 2 मीटर छोड़ा जाना है। अतः 1.5 मीटर की गहराई तक वार्षिक अधिकतम रेत उत्खनन 73,500 घनमीटर किया जाएगा। उनके द्वारा रेत उत्खनन अधिकतम 73,500 घनमीटर प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्रीमती संगीता देवी रूंगटा (डुमरडीहकला लाईम स्टोन माईन), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1550)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 196701/2021, दिनांक 08/02/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/02/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना



प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 181/1, कुल क्षेत्रफल-1.296 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-11,400 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स निसदा फ्लेग स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रोहित साहू), ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1751)

**ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 66177 / 2021, दिनांक 31/07/2021।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1334, कुल क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,312.5 टन (525 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण –**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हेमंत साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2021/1170-2 रायपुर, दिनांक 25/01/2021 द्वारा वर्ष 2011 से दिनांक 25/01/2021 तक उत्खनन कार्य निरंक होना बताया गया है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 11/10/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक ख.लि./तीन-6/उ.प.239/2009/2479 रायपुर, दिनांक 07/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/382/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.55 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2019/2013 रायपुर, दिनांक 23/09/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री रोहित साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 10/03/2011 से 09/03/2021 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 10/03/2021 से 09/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायपुर वनमंडल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./रा/871 रायपुर, दिनांक 03/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। महानदी 0.4 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,23,375 टन (49,350 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 18,275 टन (7,310 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 13,707 टन (5,482 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल

2,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,001
द्वितीय	1,023
तृतीय	1,050
चतुर्थ	1,108
पंचम	1,160

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	1,180
सप्तम	1,200
अष्टम	1,252
नवम	1,286
दशम	1,312

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

- समिति द्वारा नोट किया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान में रिजर्व की गणना में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 2,644 वर्गमीटर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,100 वर्गमीटर का उल्लेख किया गया है। जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 1,100 वर्गमीटर बताया गया है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये माईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।
- जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 275 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
- माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/382/ख. लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 24/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.55 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) का रकबा 0.47 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
  - v. Project proponent shall recalculate mining reserve and land use pattern, taking correct area of lease boundry and submit modified approved mining plan accordingly.
  - vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
  - vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.
  - viii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
  - ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम-पाईकभाठा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1752)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 221813/2021, दिनांक 04/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पाईकभाठा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 795, कुल क्षेत्रफल-1.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 30,005.28 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ज्ञानचंद गोलछा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में आवेदित खदान में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पाईकभाठा का दिनांक 02/01/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला - उ.ब. कांकर के ज्ञापन क्रमांक 229/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021-22 कांकर, दिनांक 02/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/912/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/911/खनिज/उत्ख.प./2021 धमतरी, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल,

मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्री अभिषेक गोलछा के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/12/2010 से 29/12/2020 तक थी। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/673/खनिज/पत्थर/उत्ख. पट्टा/2020-21 धमतरी, दिनांक 07/06/2021 द्वारा लीजधारक श्री अभिषेक गोलछा की मृत्यु उपरांत लीज का नामांतरण उनके विधिक उत्तराधिकारी श्री ज्ञानचंद गोलछा के नाम पर किये जाने हेतु तथा लीज अवधि विस्तार करने के संबंध में आशय पत्र जारी किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी/508 धमतरी, दिनांक 27/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1.1/2 कि.मी. की दूरी पर है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-पाईकभाठा 0.66 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-पाईकभाठा 0.68 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 43 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। बलका नहर 1.6 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,83,200 टन, माईनेबल रिजर्व 2,64,616 टन एवं रिकव्हेरेबल रिजर्व 2,51,385 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,405.07 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,594 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	25,013
द्वितीय	30,002
तृतीय	30,001
चतुर्थ	30,004

पंचम	30,004
------	--------

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	30,005
सप्तम	30,005
अष्टम	21,918
नवम	26,677
दशम	10,729

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 900 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Government Primary School, Village-Paikbhata	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.14
			Plantation with fencing in school/ community health center premises	0.14
<b>Total</b>			<b>0.92</b>	

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**6. मेसर्स निसदा लाईम स्टोन (फलेगी लाईम स्टोन) क्वारी (प्रो.- श्री पवन चन्द्राकर), ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1755)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 66329 / 2021, दिनांक 05 / 08 / 2021।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित फलेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-निसदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,000 टन (1,200 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन चन्द्राकर, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 446 / ख. लि. / तीन-6 / 2021 रायपुर, दिनांक 02 / 08 / 2021 द्वारा वर्ष 2014 से दिनांक 02 / 08 / 2021 तक उत्खनन कार्य निरंक होना बताया गया है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निसदा का दिनांक 17 / 04 / 2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/उ.प. 08 / 2013 / 2775(2) रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2017 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 446 / ख.लि. / तीन-6 / 2021 रायपुर, दिनांक 02 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.239 हेक्टेयर है।

*ak*



6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन-6/2020 रायपुर, दिनांक 03/06/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्री पवन चन्द्राकर के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/05/2009 से 12/05/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 25 वर्षों की, दिनांक 13/05/2014 से 12/05/2039 तक की अवधि वृद्धि की गई है। तक थी।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला-रायपुर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-निसदा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-निसदा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। महानदी 0.1 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,00,390 टन (1,20,156 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 1,30,290 टन (52,116 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 97,717 टन (39,089 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,258 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,021
द्वितीय	2,126
तृतीय	2,227
चतुर्थ	2,422
पंचम	2,527

## आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	2,677
सप्तम	2,760
अष्टम	2,842
नवम	2,925
दशम	3,000

**नोट:** तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 625 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व आवेदक द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 3,258 वर्गमीटर क्षेत्र में से 416 वर्गमीटर क्षेत्र में उत्खनन किया गया है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनःभराव हेतु प्रस्ताव का उल्लेख माईनिंग प्लान में नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-  

“Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.”

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
17. महानदी 100 मीटर दूर है। नदी का पानी खदान में जाने की संभावना है, इसके रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही नदी के एच.एफ.एल. (High flood level) के संबंध में जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।
18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 446/ख.लि./तीन-6/2021 रायपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.239 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) का रकबा 1.092 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.331 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
  - v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

- vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction..
- viii. Project proponent shall submit the details of HFL (High Flood Level) of Mahanadi river along with NOC from Water Resource Department.
- ix. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

**7. मेसर्स संतोषी ब्रिक्स (प्रो.- श्री जयपाल साहू), ग्राम-रामगढ़, तहसील व जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1753)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 219218/2021, दिनांक 05/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामगढ़, तहसील व जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 513, 514, 515 एवं 518, कुल क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,390 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयपाल साहू, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 513, 514, 515 एवं 518, कुल क्षेत्रफल- 1.01 हेक्टेयर, क्षमता- 1,390 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1361/खलि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 04/01/2017 से 31/03/2017 तक	निरंक
2017-18	450.6
2018-19	815.6
2019-20	672.2
2020-21	302.2

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामगढ़ का दिनांक 29/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 2613/खनि/मिट्टी/एम.पी./2016 बिलासपुर, दिनांक 06/01/2016 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1361/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1361/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 60 मीटर दूर है।
- लीज का विवरण – लीज मेसर्स संतोषी ब्रिक्स के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 23/09/2015 से 22/09/2025 तक की अवधि हेतु वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 23/09/2025 से 22/09/2045 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
- भू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 513, 514, 515 श्री पंचराम एवं खसरा क्रमांक 518 श्रीमती सुदन बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 327, दिनांक 23/08/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-रामगढ़ 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-रामगढ़ 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल मुंगेली 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित

है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.2 कि.मी. दूर है। आगर नदी 0.06 कि.मी. दूर है।

11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,200 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 13,900 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 473 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.12 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 30 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। ईट निर्माण हेतु 180 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,390
द्वितीय	1,390
तृतीय	1,390
चतुर्थ	1,390
पंचम	1,390

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
षष्ठम	1,390
सप्तम	1,390
अष्टम	1,390
नवम	1,390
दशम	1,390

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एक लाख ईट निर्माण हेतु 180 टन प्रतिवर्ष कोयला से लगभग 90 घनमीटर ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject

bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड, हॉल रोड के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Government Primary School, Village-Ramgarh	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के झापन क्रमांक 1361/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-रामगढ़) का रकबा 1.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- लीज क्षेत्र के 60 मीटर में आगर नदी है। नदी तट की सुरक्षा की दृष्टि से समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की तरफ लीज क्षेत्र की 10 मीटर सीमा पट्टी में, 2 गुणा 2 मीटर के अंतराल पर, 5 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।



3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स संतोषी ब्रिक्स (प्रो.- श्री जयपाल साहू) की ग्राम-रामगढ़, तहसील व जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 513, 514, 515 एवं 518 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.01 हेक्टेयर, क्षमता - 1,390 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स डनेश्वर साहू ब्रिक्स अर्थ माईन, ग्राम-सुरदा, तहसील व जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1754)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 219228/2021, दिनांक 05/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सुरदा, तहसील व जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 55/4(पार्ट), 84, 85, 88(पार्ट) एवं 106, कुल क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,080 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जयपाल साहू, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 55/4(पार्ट), 84, 85, 88(पार्ट) एवं 106, कुल क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर, क्षमता-1,080 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 04/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1363/खलि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-



वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
दिनांक 04/01/2017 से 31/03/2017 तक	369.2
2017-18	649.6
2018-19	1,071
2019-20	1,021
2020-21	611.6

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुरदा का दिनांक 20/08/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1284/ख.लि./तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 04/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1363/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.578 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1363/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 50 मीटर दूर है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री डनेश्वर साहू के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/12/2011 से 28/12/2021 तक वैध है। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 29/12/2021 से 28/12/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 55/4(पार्ट) 84, 85, 88(पार्ट) एवं 106 श्री पंचराम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./388 बिलासपुर, दिनांक 08/11/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सुरदा 0.8 कि.मी., स्कूल ग्राम-सुरदा 1 कि.मी. एवं अस्पताल मुंगेली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.2 कि.मी. दूर है। आगर नदी 0.05 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 16,580 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 12,870 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.032 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 40 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। ईट निर्माण हेतु 162 टन प्रतिवर्ष कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,080
द्वितीय	1,080
तृतीय	1,080
चतुर्थ	1,080
पंचम	1,080

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
षष्ठम	1,080
सप्तम	1,080
अष्टम	1,080
नवम	1,080
दशम	1,080

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ईट निर्माण हेतु 162 टन प्रतिवर्ष कोयले से 81 घनमीटर ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड एवं हॉल रोड के रख-रखाव हेतु किया जाएगा।**

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19	2%	0.38	Following activities at Government Primary School, Village-Surda	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.70</b>

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1363/खलि-03/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.578 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-सुरदा) का रकबा 0.829 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सुरदा) को मिलाकर कुल रकबा 2.407 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- लीज क्षेत्र के 50 मीटर में आगर नदी है। नदी तट की सुरक्षा की दृष्टि से समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की तरफ लीज क्षेत्र की 10 मीटर सीमा पट्टी में, 2 गुणा 2 मीटर के अंतराल पर, 5 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स डनेश्वर साहू ब्रिक्स अर्थ माईन की ग्राम-सुरदा, तहसील व जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 55/4(पार्ट), 84, 85, 88(पार्ट) एवं 106 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज)

खदान, कुल क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर, क्षमता - 1,080 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेंगे।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स शर्मा मिनरल्स (प्रो.- श्री त्रिलोक शर्मा), ग्राम-खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1713)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 212758/2021, दिनांक 24/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-खुर्सीपार एवं भाखरी, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,560 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री त्रिलोक शर्मा, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 363/1(पार्ट), 363/2(पार्ट), 363/3, 363/4, 363/5(पार्ट), 363/6(पार्ट), 363/8(पार्ट), 363/12, 363/13(पार्ट), 363/14(पार्ट), 363/18(पार्ट), 363/10, 361/4 एवं 253/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल-1.34 हेक्टेयर, क्षमता-10,560 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 335/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 09/06/2012 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019	10,005
2019-20	10,005
2020-21	10,005

- ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खुर्सीपार का दिनांक 23/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- उत्खनन योजना - क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक क./ख.लि./तीन-6/2018/357(2) रायपुर, दिनांक 21/05/2018 द्वारा अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.912 हेक्टेयर है।
- 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 991/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
- भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज श्री त्रिलोक शर्मा के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/10/2018 से 04/10/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।
- डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./न.क्र. 10-1/2020/5292 राजनांदगांव, दिनांक 14/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 7.5 कि.मी. की दूरी पर है।
- महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-खुर्सीपार 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम-खुर्सीपार 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल डोगरगांव 8.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। नाला 0.05 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 4 कि.मी. दूर है।
- पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,69,500 टन एवं माईनेबल रिजर्व लगभग 1,80,010 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 760 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,005
द्वितीय	10,005
तृतीय	10,005
चतुर्थ	10,005
पंचम	10,005

**आगामी वर्षों का उत्पादन योजना**

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छष्टम	10,005
सप्तम	10,560
अष्टम	10,560
नवम	10,350
दशम	10,350

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 1,350 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 600 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 750 नग पौधे 15 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जाने के निर्देश दिये गये।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,399 वर्गमीटर है, जिसमें से उत्तर

दिशा के 105 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक एवं पश्चिम दिशा के 80 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, इस प्रकार कुल 185 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। समिति का मत है कि उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजवर्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government High School, Village-Khursipar	
			Rain Water Harvesting System	0.35
			Plantation with fencing	0.25
			<b>Total</b>	<b>0.60</b>

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर क्षेत्र (सेफ्टी जोन) के कुछ भाग उत्खनित है एवं इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं रेस्टोरेशन (Restoration) प्लान तथा रिजवर्स की विस्तृत गणना को समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री महेश कुमार लोहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1527)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 193223/2021, दिनांक 18/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/01/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 87, 89, 90 एवं 91, कुल क्षेत्रफल-1.113 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स खजुरी ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.- श्रीमती जमुना बाई पाडे), ग्राम-खजुरी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1735)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 218144/2021, दिनांक 02/12/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 28/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-खजुरी, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 247/5, 6, 16, कुल क्षेत्रफल-0.951 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।



तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सिरिसगुड़ा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री जय पवार), ग्राम-सिरिसगुड़ा, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1756)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 222278/2021, दिनांक 06/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सिरिसगुड़ा, तहसील-तोकापाल, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 486, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,036 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जय पवार, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वर्ष 2011 से उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सिरिसगुड़ा का दिनांक 09/08/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1007/खनिज/उ.प./2020-21 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2378(ए)/खनिज/ख.लि. 4/63/2017/खनिज/उ.प./2020 जगदलपुर, दिनांक 16/12/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.66 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर जगदलपुर, जिला-बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2378(ए)/खनिज/ख. लि.4/63/2017/खनिज/उ.प./2020 जगदलपुर, दिनांक 16/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री जय पवार के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/2001 से 25/04/2011 तक थी। अवधि समाप्ति के पूर्व आवेदक द्वारा नवीनीकरण हेतु दिनांक 21/04/2010 को कार्यालय कलेक्टर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा नवीनीकरण की कार्यावाही नहीं किये जाने से परिवेदित होकर परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायलय में अपील प्रस्तुत किया गया। न्यायलय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, अटल नगर नवा रायपुर के पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा अतिरिक्त समयावधि प्रदान किये जाने हेतु कलेक्टर, जिला-बस्तर को प्रत्यावर्तित किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1783/खनिज/ख.लि.1/उ.प.63/2017/2020 जगदलपुर, दिनांक 01/10/2020 द्वारा उत्खनिपट्टा का स्वीकृत/ विस्तारीकरण (दिनांक 26/04/2001 से 25/04/2031 तक हेतु) करने बाबत सशर्त आदेश जारी किया गया है।
7. **भू-स्वामित्व** – भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, बस्तर सामान्य वन मंडल, जगदलपुर के झापन क्रमांक /मा.चि./2409 जगदलपुर, दिनांक 27/07/1999 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सिरिसगुड़ा 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-सिरिसगुड़ा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3 कि.मी. दूर है। इन्द्रावती नदी 4 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,55,951 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 23,602 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 21,242 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,606 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,025
द्वितीय	4,597
तृतीय	4,477
चतुर्थ	5,036
पंचम	4,466

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 422 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 156 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-



1. भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

**13. मेसर्स आलोक मिनरल्स (प्रो- श्री कैलाशचंद अग्रवाल), ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1757)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 66407 / 2021, दिनांक 07 / 08 / 2021।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोहभट्टा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 734, 960, 961, 963, 964, 965, 975, 1132 एवं 1133/2, कुल क्षेत्रफल-1.37 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,002.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 27 / 08 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कैलाशचंद अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- i. पूर्व में घूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 734, 960, 961, 963, 964, 965, 975, 1132 एवं 1133/2, कुल क्षेत्रफल-3.4 एकड़, क्षमता-5,002.15 टन

प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-मुंगेली द्वारा दिनांक 01/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई है।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1389/खलि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 31/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
दिनांक 01/02/2017 से 31/03/2017	4,042
2017-18	4,466
2018-19	4,441
2019-20	4,397
2020-21	4,396

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्टा का दिनांक 24/02/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1732/खलि./तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 05/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1389/खलि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 31/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 7.837 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1389/खलि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 31/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे

मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्री कैलाशचंद अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/07/2011 से 12/07/2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 20 वर्षों की, दिनांक 13/07/2021 से 12/07/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जिला-मुंगेली से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मोहभट्टा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-मोहभट्टा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.5 कि.मी. दूर है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्तीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,42,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,78,450 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 1,60,605 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,573 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,432
द्वितीय	4,474
तृतीय	4,526
चतुर्थ	4,605
पंचम	4,631

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्ठम	4,669
सप्तम	4,834
अष्टम	4,875

नवम	4,946
दशम	5,002

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,228 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के 4,573 वर्गमीटर क्षेत्र में से उत्तर-पूर्वी दिशा की तरफ 6 मीटर तक उत्खनन किया गया एवं लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन किया गया है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव एवं वृक्षारोपण का कार्य कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. (KML) में माईन बाउण्ड्री से बाहर उत्खनन प्रतिपादित होना पाया गया। समिति का मत है कि उक्त के परिपेक्ष्य में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-  
 "Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."  
 उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-  
 a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1389/खलि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 31/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 7.837 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्टा) का रकबा 1.37 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्टा) को मिलाकर कुल रकबा 9.207 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।
2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. (KML) में माईन बाउण्ड्री से बाहर उत्खनन प्रतिपादित होने के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-
  - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
  - ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
  - iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.
  - iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
  - v. Project proponent shall submit NOC from Gram Panchayat for usage of water.
  - vi. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
  - vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.
  - viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and



2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction..

- ix. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.
- x. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan incorporating all the reserves calculation accordingly.
- x. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery where previously mining has been done & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स धर्मेन्द्र चोपड़ा (टेकाढोड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-टेकाढोड़ा, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1704)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 214986/2021, दिनांक 12/06/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 20/07/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/08/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टेकाढोड़ा, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 11, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,000 टन (6,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 386वीं बैठक दिनांक 01/09/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कच्चे का दिनांक 16/03/2002 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-बालोद के ज्ञापन क्रमांक 430/खनि.लि./खनिज/2018-19 बालोद, दिनांक 20/08/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1097/खनिज/उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1096/खनिज/ उ.प./2019-20 कांकेर, दिनांक 25/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** — यह शासकीय भूमि है। लीज श्री धर्मेन्द्र चोपड़ा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/05/2002 से 30/04/2012 तक थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनिपट्टा में उत्खनन कार्य वर्ष, 2004 से वर्तमान दिनांक तक उत्खनन कार्य नहीं किया गया है तथा दिनांक 08/05/2018 को माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश उपरांत उत्खनन कार्य वर्तमान दिनांक तक बंद होना बताया गया एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत पट्टा विस्तारीकरण हेतु अनुबंध निष्पादन के बाद ही उक्त उत्खनिपट्टे में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल, भानुप्रतापपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2344 भानुप्रतापपुर, दिनांक 03/04/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-टेका ढोड़ा 0.26 कि. मी., स्कूल ग्राम-टेकाढोड़ा 0.5 कि.मी. एवं अस्पताल कच्चे 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 32 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.26 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 4,48,000 टन (2,40,000 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व लगभग 3,22,632 टन (1,61,316 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व लगभग 3,06,500 टन (1,53,250 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,258 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 26 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,000
द्वितीय	12,000
तृतीय	12,000
चतुर्थ	12,000
पंचम	12,000

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में 10 नग अवस्थित पेड़ों को उत्खनन कार्य के दौरान यथासंभव नहीं काटा जाएगा। यदि आवश्यकता होने पर वृक्षों की कटाई हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी। इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी के संबंध में वन विभाग द्वारा अक्षमता प्रकट की

गई। इस सत्र में समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी सर्वोत्तम जानकारी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक से जानकारी/दस्तावेज मांगे जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-


1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी सर्वोत्तम जानकारी वन विभाग से जारी अनार्वित प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर को अनुरोध किया जाए।
2. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनार्वित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिचालना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं कार्यालय वनमण्डलाधिकारी भानुप्रतापपुर को पत्र लिखा जाए।

बैठक संन्यास लेने का स्वर संचालन हुई।

  
(कलसिंह सिंघी)  
सदस्य सचिव

राज्य स्तर विशेषज्ञ अकादमि समिति  
छत्तीसगढ़

  
(पीरेन्द शर्मा)  
अध्यक्ष

राज्य स्तर विशेषज्ञ अकादमि समिति  
छत्तीसगढ़

मेसर्स डी-करासी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्रीमती नेहा गोयल)  
को खसरा क्रमांक 538, कुल क्षेत्रफल-1.9 हेक्टेयर, ग्राम-करासी,  
तहसील-शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) में कनहार नदी से रेत  
उत्खनन क्षमता 19,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी  
जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 1.9 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 19,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही गिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 10 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 750 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।



17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Karasi	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.20
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
24. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,



परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स संतोषी ब्रिक्स (प्रो.- श्री जयपाल साहू)

को खसरा क्रमांक 513, 514, 515 एवं 518, ग्राम-रामगढ़, तहसील व जिला-मुंगेली, कुल लीज क्षेत्र 1.01 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,390 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.01 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,390 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. लीज क्षेत्र के 60 मीटर में आगर नदी है। नदी तट की सुरक्षा की दृष्टि से समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की तरफ लीज क्षेत्र की 10 मीटर सीमा पट्टी में, 2 गुणा 2 मीटर के अंतराल पर, 5 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. ईट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
10. ईट निर्माण में फलाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फलाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

16. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Government Primary School, Village-Ramgarh	
			Rain Water Harvesting System	0.70
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.80</b>

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 150 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेंगे।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
21. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़

पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

23. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
25. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
26. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
28. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
31. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिट्रिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्राक्धानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स डनेश्वर साहू ब्रिक्स अर्थ माईन  
को खसरा क्रमांक 55/4(पार्ट), 84, 85, 88(पार्ट) एवं 106, ग्राम-सुरदा, तहसील  
व जिला-मुंगेली, कुल लीज क्षेत्र 0.829 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज)  
क्षमता - 1,080 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 0.829 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता - 1,080 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. लीज क्षेत्र के 50 मीटर में आगर नदी है। नदी तट की सुरक्षा की दृष्टि से समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी की तरफ लीज क्षेत्र की 10 मीटर सीमा पट्टी में, 2 गुणा 2 मीटर के अंतराल पर, 5 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
6. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
7. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
9. ईट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
10. ईट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनः उपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
13. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
14. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।





16. मिट्टी एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
19	2%	0.38	Following activities at Government Primary School, Village-Surda	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation	0.10
			<b>Total</b>	<b>0.70</b>

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 200 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के पहुंच मार्ग में आम, नीम, अर्जुन, करंज आदि के 500 नग पौधे लगाये जायेंगे।
20. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
21. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
22. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़

- पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
23. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
  24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
  25. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
  26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
  27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
  28. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
  29. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
  30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
  31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
  32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
  33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.